THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE (KM. SELJA): (a) Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) has, informed that the present allocation per student per month towards messing charges is Rs. 375/— for all Navodaya Vidyalayas and Rs. 400/— per student per month in Vidyalayas located in Kashmir Velley, Kargil, Leh, A & N Island, Lakshadweep and difficult areas of Himachal Pradesh and North East.

(b) The menu varies depending upon the Geographical Region as the choice and food habits of children are taken into consideration by the Mess Committee of the Vidyalaya before the menu is fixed.

(c) to (e) Navodaya Vidyalaya Samiti has issued instructions to all Principals to provide good quality and nutritive food to the children and does not encourage saving of funds earmarked for meeting mess expenditure. To ensure this, the Samiti has taken various steps which include;

— A post of Catering Assistant has been created in each Vidyalaya.

— Inspection by the Officers of the Samiti/ Regional offices and remedial action wherever necessary.

— District Magistrate who is the Chairperson of the Vidyalaya Management Committee visits the Vidyalaya personally to satisfy himself in case of complaints.

The information relating to actual savings, if any, in various schools is however not available in the Navodaya Vidyalaya Samiti Headquarters and the same is being collected from the Regional Offices/Vidyalayas and will be laid on the Table of the House.

### महिलाओं पर अत्याचार

**2596. श्री सोमपाल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1995 के "इत्नामिक टाइम्स" में प्रकाशित वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती उषा राय के उस लेख की ओर गया है जिसमें उन्होंने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया है; और

(ख) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवराजेश्वरी):** (क) जी नहीं। 12 जुलाई, 1995 के "इनामिक टाइम्स" में प्रकाशित श्रीमती उषा राय द्वारा लिखित इस प्रकार के किसी लेख की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ है। तथापि, 12 जुलाई, 1995 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप भी लगाया है कि महिलाओं से संबंधित मुद्दों, जिनमें महिलाओं के साथ किए जाने वाले अत्याचार भी शामिल हैं, के निपटान में सरकार निष्क्रिय है।

(ख) देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की घटनाओं के प्रति सरकार चिन्तित है और सरकार ने विधान बनाने, कानूनी साक्षरता, परामर्श, कानूनी सहायता, प्रवर्तन, स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता, प्रचार अभियान आदि जैसे क्षेत्रों में अनेक उपाय किए हैं। अत्याचारों के खिलाफ बनाए गए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अन्य विशेष अधिनियमों के साथ पठित भारतीय दंड संहिता 1860 में महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा उपलब्ध है। महिलाओं के साथ हिंसा की समस्या के निपटान के लिए कानून को कड़ा बनाने के लिए अनेक संशोधन भी किए गए। उदाहरणार्थ दहेज-मृत्यु के अपराध से निपटने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में द्वारा 304 'ख' शामिल की गई है। यदि किसी महिला की विवाह के 7 वर्षों की अवधि के भीतर अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है और यह पता चलता है कि मृत्यु से पूर्व उसके पति अथवा पति के संबंधियों द्वारा दहेज के लिए महिला को तंग किया अथवा सताया गया है तो जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाए यह समझा जाएगा कि उसका पति अथवा पति के संबंधी ही उसकी मृत्यु का कारण हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में द्वारा 113 "ख" को भी शामिल किया गया ताकि जिन मामलों में यह पता चल जाए कि दहेज के लिए पति अथवा पति के संबंधियों ने महिला को तंग किया था, तो न्यायालय पति अथवा पति के संबंधियों को दोषी मान ले। विवाहित महिलाओं के साथ पति अथवा पति के संबंधियों द्वारा किए गए मानसिक और शारीरिक अत्याचार के अपराध को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 (क) के अन्तर्गत कवर किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण और उनके साथ

होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए विभिन्न श्रम नियमों अर्थात कारखाना अधिनियम, 1948 बागवानी श्रम अधिनियम, 1951, खान अधिनियम 1952 इत्यादि में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

भारत के संविधान के अन्तर्गत, महिलाओं को न केवल समानता का अधिकार दिया गया है बल्कि सरकार को महिलाओं के लिए सकारात्मक उपाय करने के भी अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं की सामाजिक भेदभाव, हिंसा और अत्याचारों से सुरक्षा के लिए सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम 1956, दहेज (निषेध) अधिनियम 1961, स्त्री अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम 1986, तथा सती (निवारण) अधिनियम 1987 जैसे महिला-विशिष्ट तथा महिलाओं से संबंधित कानून बनाए हैं। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी तथा चण्डीगढ़ ने महिलाओं के प्रति अत्याचार सैलों की स्थापना की है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने 10 पुस्तिकाओं की शक्ल में कानूनी साक्षरता मैनुअल प्रकाशित किए हैं; जिनका उद्देश्य अल्प-साक्षर/नव-साक्षर निर्धन महिलाओं के कानूनी ज्ञान के स्तर में सुधार करना है ताकि उन्हें शोषण का मुकाबला करने के योग्य बनाया जा सके।

चूंकि महिलाओं के साथ हिंसा का संबंध समाज में उनके निम्न दर्जे से है, इसलिए सरकार (क) महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से संम्पन्न बनाने के लिए नोराड, स्टेप, सी सी इ वी टी, एस ई पी, ड्वाकरा जैसी प्रशिक्षण-सह-आयोत्पादन गतिविधियों जैसे विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। (ख) सकारात्मक कार्रवाई के एक विशेष उपाय के रूप में गैर-सरकारी संगठनों की मध्यस्थता के जरिए अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई है। घरेलु बचत पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु महिला समृद्धि योजना शुरू की गई है। महिलाओं को संघठित करने और उनमें जागृति का विकास करने के लिए महिलाओं और बच्चों से संबंधित सेवाओं के संकेन्द्रण के लिए 'इन्दिरा महिला योजना' नामक एक स्कीम हाल ही में शुरू की गई है। (ग) कामकाजी महिला होस्टल, अल्पावधि गृह, शिशुगृह, परिवार परामर्श केन्द्र आदि जैसी समर्थन सेवाएं और (घ) महिलाओं के लिए जागृति विकास कार्यक्रम तथा उनके अधिकारों के बारे में सूचना का प्रसार। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए प्रचार और अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षात्मक कार्य नामक स्कीम गैर-सरकारी संगठनों के मार्फत कार्यान्वित की जा रही है। समाज में महिलाओं की सकारात्मक छवि प्रदर्शित करने तथा महिलाओं और लड़कियों के प्रति समाज के रवैये में परिवर्तन लाने के लिए मुद्रित और इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों के जरिए भी प्रयास किए जाते हैं।

**New regulations for processing new proposals in Engineering and Technology**

2597. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether All India Council for Technical Education has recently finalised new regulations regarding processing of new proposals in Engineering and Technology under the AICTE Act, 1987; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) Yes, Sir. All India Council for Technical Education has issued Regulations for grant of approval for starting new technical institutions, introduction of courses or programmes and approval of intake capacity of seats for the courses or programmes, and these were published in the Gazette of India dated 23rd November, 1994.

(b) These Regulations include, among other things, the mechanism of application, scrutiny, assessment at various levels at the State/Union Territory, University, UGC, expert committees etc. in a decentralised, participative process to be completed in a prescribed time schedule.

**Warning by IRRI of Phillipines on massive hunger, in Asian Countries**

2598 SHRI S.S. SURJEWALA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the International Rice Research Institute, Phillipines have warned the Asian Countries about spectre of massive hunger in their countries;